तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/3687/2005/चित्तोडगढ** **रामचन्द्र बनाम शिवलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-02-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता प्रार्थी श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी – 01 **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत अति0 कलक्टर (प्रशासन), चित्तोडगढ द्वारा दिनांक 01-07-2005 को प्रकरण संख्या 04/2004 शीर्षक रामचन्द्र बनाम शिवलाल में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को निगरानी पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण–गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से तहसीलदार, कपासन के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व में दिनांक 14-12-1974 को स्वीकार किया गया था किन्तु इस आदेश की पालना नहीं होने से हुक्म उदूली आवेदन व नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार, कपासन ने निर्णय दिनांक 22-01-2004 से आदेश पारित किया कि “प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 21310, 2131 पर आने जाने बाबत् अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 2129 के पूर्वी पाली एवं सरकारी नाला खसरा नम्बर 4641 के पश्चिमी किनारे से प्रार्थी को सुखाधिकार बाबत् रास्ता देने की आज्ञा दी जाती है। साथ ही यदि सरकारी नाला आराजी नम्बर 4641 के पश्चिमी किनारे पर अप्रार्थी का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे भी हटाया जा कर रास्ते का निराकारण किया जावे।” योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही कथन रहा है कि धारा 251 के अन्तर्गत नया रास्ता दिलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, सुखाधिकार के आधार पर रास्ते के विवाद का निस्तारण करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में अस्थाई	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/3687/2005/चित्तोडगढ</u>** **<u>रामचन्द्र बनाम शिवलाल</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किया जा चुका है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि धारा 251 के तहत प्रथम 45 दिवस तक क्षेत्राधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होता है, 45 दिवस के बाद ही तहसीलदार का क्षेत्राधिकार आरम्भ होता है। अतः प्रकरण में तहसीलदार द्वारा गलत प्रकार से क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और निगरानी स्वीकार की जावे। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से मौके की वास्तिविक स्थिति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इसे पुष्ट किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी पक्ष को धारा 251 के तहत पाबन्द किया था और पुनः इसी आधार पर नवीन निर्णय पारित किया है। प्रार्थी के इस कथन में कोई सार नहीं है कि नवीन रास्ता स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में विधिवत रुप से उपखण्ड अधिकारी का पर्चा मौका दिनांक 3–8–2004 है, जो भी स्पष्ट रुप से हमारे पक्ष की पुष्टि करता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय लेते हुये प्रकरण को तय किया है, अतः समवर्ती निर्णयों में निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी खारिज की जाये। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावलियों व सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण–गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से तहसीलदार, कपासन के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तहसीलदार के निर्णय के पेज संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में अंकित किया गया है कि “इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 98/74 निर्णय दिनांक 14–12–1974 का अवलोकन किया गया जिसमें मौजा कपासन की साबिक आराजी खसरा नम्बर 3073 एवं 3074 जो प्रार्थी के पिता दल्ला के नाम दर्ज थी। इस आराजी के पूर्वी पाली पर तथा	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/3687/2005/चित्तोडगढ</u>** **<u>रामचन्द्र बनाम शिवलाल</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी नम्बर 3028 नाला के पश्चिमी किनारे हो जाते हैं, वह पहले की तरह बराबर जाते रहें। गैरसाया इसको रोक टोक नहीं करें।" प्रार्थीगण/गैर निगराकार द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 3075/1 व 3075/2 हाल खसरा नम्बर 2130 व 2132 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 3073, 3074 हाल खसरा नम्बर 2128, 2129 अप्रार्थी के कब्जे में है। साबिक खसरा नम्बर 3028/3 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 4641/0.81 है0 सरकारी नाला है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर आने जाने के लिए अप्रार्थी की उक्त आराजीयात की पूर्वी पाल पर व उक्त सरकारी नाले के पश्चिमी किनारे हो कर जाने का प्रार्थना पत्र पूर्व में धारा 251 का पेश किया था जिसे दिनांक 14–12–1974 को स्वीकार किया गया था, उक्त आदेश के बाबजूद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के आने जाने में अवरोध कर रहे हैं। तहसीलदार, कपासन ने निर्णय दिनांक 22–01–2004 से आदेश पारित किया कि "प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 21310, 2131 पर आने जाने बाबत् अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 2129 के पूर्वी पाली एवं सरकारी नाला खसरा नम्बर 4641 के पश्चिमी किनारे पर अप्रार्थी का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे भी हटाया जा कर रास्ते का निराकारण किया जावे।" धारा 251 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जब कोई भूमिधारी जो रास्ते के अधिकार का उपभोग कर रहा हो और उसे किसी प्रकार से बाधित किया जाता है तो तहसीलदार, इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर सरसरी जॉच के पश्चात् बाधा को हटाये जाने अथवा बन्द किये जाने की ओर प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभाग करने देने की आज्ञा दे सकेगा। वर्तमान प्रकरण में सुस्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष पूर्व में रास्ते के अवरोध को हटाने के लिए आवेदन किया गया था और इसे हटाने का पूर्व में आदेश दिया गया था और पुनः नवीन आवेदन देने पर धारा 251 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–1–2004 अवरोध नहीं करने बाबत् पारित किया है जिसमें किसी प्रकार से कोई नवीन रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, कपासन की मौका रिपोर्ट दिनांक 3–8–2004 में भी बताया गया है कि खसरा नम्बर 2130 व 2131 पर जाने हेतु जो वैकल्पिक रास्ता दर्शाया है उसमें खसरा नम्बर 2139 से आगे जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/3687/2005/चित्तोडगढ</u>** **<u>रामचन्द्र बनाम शिवलाल</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नम्बर 2129 की पूर्वी पाल और उससे लगे नाले के पश्चिमी किनारे के उपयोग में अवरोध नहीं करने हेतु जो निर्णय पारित किया गया है वह न्यायोचित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विधिवत रुप से इस निर्णय को पुष्ट किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं मानते हैं। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	